संख्या :2553/V-श0वि0-05/476(सा0)/2004

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग देहरादून, दिनांक 21 सितम्बर, 2005

विषय: मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26-2-2004 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा से सम्बन्धित कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 26-2-2004 को जनपद देहरादून में की गयी घोषणा से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य हेतु रू0 44.79 लाख (रूपये चौवालीस लाख उन्नासी हजार मात्र) के आगणन के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0-44.70 (रूपये चौवालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की धनराशि, की निम्न तालिकानुसार, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं0	कार्य का नाम	आगणन की लागत	टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित धनराशि
01	जनपद देहरादून के अन्तर्गत महारानी बाग, मोहितनगर क्षेत्र की सड़कों का निर्माण एवं बल्लूपुर से सेठी मार्केट तक मार्ग का पुनः निर्माण।	44.79	44.70

(2) उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था लो0नि0वि0 को बैंक ड्रफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिये किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिये धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/का सम्बन्धित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से सं औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टयों का अनुपालन करते हुए प्राविधि स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(5) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेन्सी के अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। एक मुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता ही किश्तों मे आहरित किया जायेगा।

(8) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
निर्माण एजेन्सी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।

(9) आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण सम्बन्धित विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को पुनः स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(10) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(11) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित् करें।

(12) विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यो का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों से करा लिया जायेगा एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।

(13) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये, तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को दिनांक 31–3–2006 तक उपलब्ध करा दिया जाये।

(15) कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(16) उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–191–स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

(17) यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 1640/वित्त अनु0–3/05, दिनांक: 16 सितम्बर ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या:9457 (1) श0वि0–05–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तरांचल।
4– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
6– अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, देहरादून।
7– मुख्यमंत्री कार्यालय (घोषणा अनुभाग) को उनके पत्र संख्या 300/XXXV-1-172 /घोषणा/04, देहरादून दिनांक 03–7–2004 के क्रम में इस आशय से प्रेषित की वे मा0 मुख्यमंत्री जी की उक्त घोषणा को पूर्ण मान लिया जाय।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुव्रत विश्वास)
अपर सचिव।